न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 53/2015 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती सुकरमा कुंवर पुत्री लाल जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. फतेहसिंह पिता जसवन्तसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सवाईसिंह पिता जसवन्तसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. लालसिंह पिता जसवन्तसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

3/1. श्रीमती कमला बेवा लालसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. श्रीमती सुकरमा पुत्री लालसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (नाम हटाया गया)

3/3. सुश्री पूनम नाबालिग पुत्री लालसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. सुश्री मुन्नी नाबालिग पुत्री लालसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. रघुसिंह नाबालिग पुत्र लालसिंह जी राजपूत, निवासी टणका, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4. श्रीमती हगामीबाई पत्नी प्रताप जी सुथार, निवासी ढ़ेलाणा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (नाम हटाया गया)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0– 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 05.11.2015 प्र.सं. 19/2010

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री के. एल. चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

3– श्री डी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 12–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के पिता लालसिंह व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित कुल आराजियात 17 रकबा 2.0100 हैक्टर भूमि ग्राम टणका में स्थित होकर राजस्व अभिलेखों में वादी का 1/9 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 दर्ज रेकार्ड हैं, परन्तु अब संयुक्त काश्त करना संभव न हीं हो रहा है, न ही भूमि का हस्तान्तरण किया जा पा रहा है एवं उक्त भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे एवं वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर वादी का कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में संयुक्त काश्त की स्थिति वाली बात का कोई आधार नहीं है। विशेष कथन में अंकित किया कि उक्त भूमियां 25 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खरीद शुदा हैं। तब वादी ने उक्त भूमियां संयुक्त रूप से क्रय करना तय किया था, किन्तु वक्त रजिस्ट्री रूपये अदा नहीं किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने बराबर राशि अदा कर भूमि क्रय की है। वादी द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गयी, न ही उनका कब्जा है। अएवं वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–04–2009 को निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी 1/9 हिस्से का खातेदार होकर विभाजन का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वादी का वाद कब्जे के अभाव में निरस्त योग्य है ? ..... प्रतिवादी
3. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09–03–2012 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां आदि सुनने के बाद दिनांक 05–11–2015 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 05–11–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री डी.एस. शक्तावत उपस्थित हुए।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/2 व 4 का नाम हटाने का आवेदन पेश किया गया, जिस पर दिनांक 31–07–2017 को न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 16–03–2016 को क्रोस आब्जेक्शन भी पेश किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सवाईसिंह को व्यक्तिगत रूप से तामिल दिनांक 28–12–2015 को जारी शुदा दिनांक 25–01–2016 की पेशी हो चुकी है। अर्थात दिनांक 25–01–2016 को अपील की जानकारी होने के बाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 24–02–2016 तक क्रोस आब्जेक्शन पेश किये जाने का आदेश 41 नियम 22 जा.दी. के तहत अधिकार है, परन्तु क्रोस अपील दिनांक 16–03–2016 को पेश की गयी एवं इस हेतु मयाद कण्डोन किये जाने हेतु कोई आवेदन भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा पेश शुदा क्रोस अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

प्रकरण दिनांक 20–11–2017 को वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 161/2016 निर्णय दिनांक 15–09–2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की उन्हें उसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ उक्त दस्तावेज सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति होकर राजकीय दस्तावेज है, जिसके फर्जी अथवा बनावटी होने की कोई आशंका नहीं है। अतएवं उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट के पिता व रेस्पोन्डेन्ट के मध्य पूर्व में आपसी विभाजन हो जाने बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया हुआ था, जिसकी लिखा–पढ़ी दिनांक 05–06–1997 को हुई। उसी अनुसार पक्षकार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में हुए उक्त विभाजन पर कोई गौर नहीं किया गया है एवं जल्दबाजी में निर्णय पारित कर दिया गया है। यदि अपीलान्ट के जवाब व दस्तावेज को देखा जाता तो ऐसा निर्णय कदापि नहीं होता। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे व विभाजन हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर अपीलान्ट के उजरात पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के अनुक्रम में जो विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर अंतिम डिक्री पारित की गयी है, उसमें अपीलान्ट के कथनानुसार पूर्व विभाजन जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद विधिवत विभाजन के मुकाबले अधिक वरीय नहीं हो सकता, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में अपने अधिनस्थ कार्मिकों से रिपोर्ट तलब की जाकर भिजवा दी गयी हैं जो माननीय राजस्व मण्डल की नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 के क्रम में त्रुटि पूर्ण हैं। तहसीलदार अपनी शक्तियों को

उपप्रत्यायोचित नहीं कर सकते। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–11–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों के क्रम में जारी प्रारम्भिक डिक्री के क्रम में तहसीलदार स्वयं को निर्देशित करें कि वह सभी पक्षों को सूचना देकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की आपत्तियों को राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 के क्रम में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर उभयपक्षों को सुनकर उसका निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12–01–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

हीरालाल पिता भैरूलाल जी टांक, निवासी कलाल वाटी, राजनगर, तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **किशनलाल पिता मानाराम जी पंवार (चमार), नि0 सलुस रोड़, कांकरोली, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**22 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**07**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**.....माह.....**06**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री सुनील बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–07–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**06**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।